



सत्यमेव जयते

स्पीड पोस्ट

SPEED POST

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. SD/29/2019/STGJH/DEOTH/RU-III

दिनांक: 04-12-2019

सिटिंग नोटिस

विषय :- अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में श्रीमती सुरती देवी पति स्व. श्री बकु मांझी, ग्राम पोस्ट हेसागटा, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) का अभ्यावेदन।
संदर्भ : इस आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.09.2019 एवं स्मरण पत्र दिनांक 26.11.2019,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 11-12-2019 को 03.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष, के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक

सेवा में,

मुख्य प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, कच्छी रोड,
रांची (झारखण्ड) -834029

09/c
8943-44
4/12/19

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमती सुरती देवी, पति स्व. श्री बकु मांझी,
ग्राम पोस्ट हेसागटा,
जिला रामगढ़ (झारखण्ड)